न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/01

गोपी पुत्र जीवन जाति कुम्हार निवासी पीपल्या तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र जोधराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. देवेन्द्र सिंह पुत्र जोधराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. अनिता कंवर पुत्री जोधराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. बाबूलाल पुत्र नन्दा जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवा जिला बून्दी।
5. पप्पू पुत्र पुत्र नन्दा जाति कुम्हार निवासी ग्राम पीपल्या तहसील नैनवा जिला बून्दी।
6. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, बून्दी चित्तौड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा तलवास तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. राज0 सरकार भू– स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नन्द सिंह हाडा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से

निर्णय दिनांकः 10.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 3 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पीपल्या तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 44 में खसरा नम्बर 223 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण व लोकेन्द्र सिंह के खातेदारी की भूमि है । खातेदार लोकेन्द्र सिंह लाऔलाद फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रार्थीगण की हैं । उक्त भूमि पर आने–जाने का रास्ता अपने पूर्वजों के समय से ही खातेदार बाबूलाल की कृषि भूमि खसरा नम्बर 222 के मध्य होकर निकल रहा था इसी पर होकर प्रार्थीगण के पूर्वज वर्षों से कृषि यंत्रों, जानवरों को अपनी भूमि पर लाते व ले जाते थे तथा उनके बाद प्रार्थीगण लगातार उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं । अप्रार्थी ने उक्त रास्ते को बन्द कर दिया । प्रार्थीगण को अधिकार है कि वे अपने खातेदारी की भूमि पर आने–जाने हेतु 20 फिट चौडा रास्ता कायम करावें और उक्त रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावें ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाये रास्तानुसार रास्ते को राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्त के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त पत्रावली को प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट पीपल्या में रखते हुए अपने आदेश दिनांक 10.11.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 222 में से रकबा 45 . 1 गठ्ठा = 45 वर्ग गठ्ठा = रकबा 0.02 बीघा तथा खसरा नम्बर 221 में से रकबा 45 . 1 गठ्ठा = 45 वर्ग गठ्ठा = रकबा 0.02 बीघा भूमि रास्ता के रूप में दिये जाने के आदेश पारित किये ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण कम 03 गोपी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है । हल्का पटवारी द्वारा एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 ने परीक्षण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसमें खसरा नम्बर 223 की भूमि जाने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 221 व 222 में से मांगा गया । खसरा नम्बर 222 अपीलान्ट की भूमि है । परीक्षण न्यायालय में प्रकरण अपीलान्ट के जवाब में चल रहा था

इसी दौरान दिनांक 10.11.2021 को उक्त पत्रावली को प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट पीपल्या में अपीलान्ट का जवाब व साक्ष्य लिये बिना पटवारी हल्का की एकतरफा रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलान्ट के खाते की भूमि में से होकर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है जबकि रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 शुरू से ही खसरा नम्बर 224, 234 व 237, 238 व 869/238 की मेड से होते हुए अपने खेत पर आते–जाते रहे हैं । परीक्षण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर उक्त निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाब व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2022 पार्ट–II पेज 1264, आरआरटी 2021 (पार्ट–II) पेज 1286, आरआरटी 2019 पेज 419, आरआरटी 2019 पेज 1543 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में तहसीलदार नैनवा से मौका रिपोर्ट प्राप्त खसरा नम्बर 221 एवं 222 में से नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत है । परीक्षण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की पालना में नया रास्ता करने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2021 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कर अपने खातेदारी की भूमि पर आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 221 एवं 222 में से होकर नया रास्ता कायम करने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली को दिनांक 10.11.2021 को गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट पीपल्या में रखते हुए आदेश पारित किया है । प्रस्तुत प्रकरण को कैम्प कोर्ट पीपल्या में रखने हेतु अपीलान्ट को कोई सूचना हुई या नहीं ? यह परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है जबकि यदि पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखी जाती है तो उसकी सूचना जरिये नोटिस/सम्मन पक्षकारान को दिया जाना अनिवार्य होता है ।

10. परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर रास्ता कायम करने बाबत् मौका रिपोर्ट प्राप्त की । उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 06.07.2020 को तैयार की गई है जिसमें हल्का पटवारी के हस्ताक्षर हैं जबकि नया रास्ता कायम करने हेतु मौका रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के नियम 69 की पालना में स्वयं भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर से अन्यून स्तर के अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार किया जाना अनिवार्य होता है । तहसीलदार, नैनवा ने भी हल्का पटवारी द्वारा हस्ताक्षरित मूल रिपोर्ट को प्रेषित किया है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) के नियम 69 की पालना किये बिना मौका रिपोर्ट तैयार कर उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर नया रास्ता कायम करने का

आदेश पारित किया जो विधि सम्मत नहीं है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के नियम 69 आज्ञापक प्रावधान है जिसकी पालना किया जाना आवश्यक है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) के नियम 69 की पालना करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 18.07.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 10.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा